न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 33/2018 (225 आरटीए) मोहनराम वगै. बनाम गंगाराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00021)

1 मोहनराम पुत्र नाराराम,
2 सोमारीदेवी पत्नी श्री मोहनराम
दोनों जाति विश्नोई निवासियान ग्राम हाणिया तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।

..... अपीलांट्स

बनाम

1 गंगाराम पुत्र श्री धुलाराम,
2 जगमालराम पुत्र श्री काछबाराम,
3 धर्माराम पुत्र श्री काछबाराम,
4 बगताराम पुत्र श्री काछबाराम,
5 मोहनराम पुत्र री फुलाराम,
6 चैनाराम पुत्र श्री फुलाराम,
7 गंवरी पत्नी हरदास,
8 जमना पत्नी रूगाराम,
9 शेराराम पुत्र स्व. खम्मुराम,
10 मेघाराम पुत्र स्व. खम्मुराम,
11 सुण्डाराम पुत्र स्व. खम्मुराम,
12 नरिंगाराम पुत्र जोधाराम,
13 कानाराम पुत्र जोधाराम,
14 लिखमाराम पुत्र खेराजराम,
15 पिरथाराम पुत्र खेंराजराम,
16 अणची पत्नी खेराजराम,
17 भेराराम पुत्र लुम्बाराम,
18 भेराराम पुत्र मानाराम,
19 रामूराम पुत्र गुणेशाराम,
20 पांचाराम पुत्र बगडूराम,
21 चंपा पत्नी स्व. बिंजाराम,
22 गुलाबराम पुत्र स्व. बिंजाराम,
23 बाबूराम पुत्र स्व. बिंजाराम,
24 सुखाराम पुत्र स्व. बिजाराम,
25 अन्नाराम पुत्र स्व. बिंजाराम,

26 पूनाराम पुत्र स्व. बिंजाराम,
27 सुवटी पुत्री स्व. बिंजाराम,
28 मीरा पुत्री स्व. बिंजाराम,
29 परमेश्वरी पुत्री स्व. बिंजाराम,
30 मीरा पत्नी स्व. बगडूराम,
31 पूनाराम पुत्र स्व. बगडूराम,
32 अमराराम पुत्र स्व. बगडूराम,
33 हुकमाराम पुत्र स्व. बगडूराम,
34 मूलाराम पुत्र स्व. बगडूराम,
35 जसी पत्नी गोपाराम,
36 मांगीलाल पुत्र गोपाराम,
37 हाउराम पुत्र गोपाराम,
38 सुगनी पत्नी फगलूराम,
39 भंवरलाल पुत्र श्री फगलूराम,
40 जयराम पुत्र श्री फगलूराम
सभी जातियान विश्नोई ग्राम हाणिया तहसील बावड़ी जिला जोधपर।
41 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बावड़ी।
42 आईसीआईसी आई बैंक शाखा ग्राम डांवरा जरिए प्रबंधक तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी दिनांक 22.02.2018 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 48/2016

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र विश्नोई।
2 रेस्पो सं. 1, 6, 12 से 18 व 30 से 40 की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई।
3 रेस्पो. सं. 41 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।
4 शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 23.07.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी के राजस्व प्रार्थना

23/7
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पत्र सं. 48/2016 में पारित आदेश दिनांक 22.02.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो. सं. 1 से 4 की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 48/2016 पेश कर निवेदन किया कि रेस्पो. सं. 1 से 4 की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम हाणिया तहसील बावड़ी के खसरा नं. 209 कुल रकबा 114 बीघा 4 बिस्वा सह खातेदार के रूप में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण/रेस्पो. सं. 1 से 4 रिकार्डेड खातेदार हैं। मूल खसरा नं. 209 का रेवेन्यु रिकार्ड जमाबंदी में बंटा नंबर अंकित होकर खाते अलग–अलग हो चुके हैं लेकिन नक्शा ट्रेस में इस खसरे में तरमीम अंकित नहीं हैं। रेस्पो. एवं अपीलांट्स खसरा नं. 209 के सह खातेदार हैं तथा खसरा नं. 209/2 व 209/3 के खातेदार रेस्पो. सं. 30 से 40 हैं। तथा खसरा नं. 209/7 के खातेदार अपीलांट संख्या 1 व 2 हैं। रेस्पो. सं. 1 से 4 ने खसरा नं. 209 में आने जाने हेतु खसरा नं. 209/7 में से रास्ते के रूप में भूमि की मांग की है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को तलब कर मौका रिपोर्ट मंगाई जाकर, मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बगैर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र विश्नोई ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि आलोच्य आदेश विधि विरुद्ध व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। रेस्पो. सं. 1 से 4 द्वारा जहां रास्ता मांगा गया है वहां कोई रास्ता नहीं चलता है तथा वर्तमान में जिस जगह से रास्ता मांगा गया है जिसकी मौका रिपोर्ट दिनांक 18.04.2017 में स्थान एक्स से वाई स्थान पर रास्ता मार्क किया गया है उस स्थान पर खसरा नं. 209/7 में तीन ढाणियां बनी हुई हैं तथा एक पानी का टांका बना हुआ है जिसके उपर से रेस्पो. सं. 1 से 4 रास्ते की मांग कर रहे हैं जो कतई न्यायोचित नहीं हैं। रेस्पो. सं. 1 से 4 का रास्ता आज भी खसरा नं. 209/2 में चालू है एवं वहीं से उनका आगमन विधिवत रूप से चल रहा है। रेस्पो. सं. 1 से 4 अपीलांट्स से दुर्भावना रखते हैं इसलिए पूर्व चल रहे रास्ते को छोड़ते हुए नए रास्ते की गलत मांग की है। अपीलार्थीगण ने पूर्व में चल रहे खसरा नं. 209/2 के रास्ते को कभी बंद नहीं किया है तथा वहीं पर पीढ़ियों से

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

पुराना रास्ता चल रहा है और उसी रास्ते से रेस्पो. सं. 1 से 4 कर रहे हैं। खसरा नं. 209/2 से चल रहा रास्ता रेस्पो. सं. 1 से 4 का निकटतम एवं सुगम रास्ता है एवं कटानी रास्ते तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं हैं। एवं यही रास्ता अन्य सहखातेदारों के खेतों में जा रहा है। वर्तमान में जिस रास्ते की मांग की गई है जिसमें तीस फुट चौड़ा रास्ता मांगा है जो 1 कि. मी. लंबा पड़ता है तथा जिसके बीच में ढाणियां व टांके इत्यादि आते हैं इसलिए उक्त रास्ते की आवश्यकता ही नहीं हैं न ही कोई औचित्य है। पूर्व में इनको एक रास्ता खसरा नं. 209/2 में दे रखा है वह रास्ता बंद नहीं हैं जो वर्तमान में भी चालू है। वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी रेस्पो. सं. 1 से 4 द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो आधारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच किए नए रास्ते का आदेश पारित किया है जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि की मौका रिपोर्ट मंगाई गई जिसमें 10.04.2017 की प्रथम मौका रिपोर्ट में रास्ता दिया जाना संभव नहीं है का वर्जन आया हुआ है जबकि दिनांक 18.04.2017 की दूसरी मौका रिपोर्ट में रेस्पो. सं. 1 से 4 को बिना मौके पर पहुंचे ही बिना पक्षकारों को सूचित किए बाले–बाले मोका रिपोर्ट बनवा कर नए रास्ते के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कर दिया जो विधि विरुद्ध होने से खारिज योग्य है। प्रथम मोका रिपोर्ट प्रार्थीगण/रेस्पो. सं. 1 से 4 की प्रार्थना पर ही मंगाई गई थी जो प्रार्थीगण के विरुद्ध आने से प्रार्थीगण द्वारा इस पर ऐतराज प्रस्तुत किया उसके पश्चात बिना किसी के प्रार्थना पत्र के पुनः मौका रिपोर्ट मंगवा लिया जाना कतई न्यायोचित नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय में जो प्रथम मोका रिपोर्ट पेश हुई वह प्रार्थीगण के विरुद्ध होने से बिना दोनों पक्षों को सुने एक पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए पुनः मौका रिपोर्ट मंगाए जाने का जो आदेश दिया वह गैर कानूनी है अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। दूसरी मोका रिपोर्ट महज सात दिवस में बिना अपीलांट को सूचित किए मंगवा ली गई। यह रिपोर्ट राजस्व कर्मचारियों ने मौके पर जाए बिना बाले–बाले कार्यालय में बैठे–बैठे तैयार करके पेश कर दी जिसके आधार पर पारित आलोच्य आदेश खारिज किए जाने योग्य है। प्रकरण में सभी पक्षकारान की तामील नहीं हुई है। आदेशिका में किस–किस पक्षकार की तामील हुई, कौन–कौन उपस्थित हुई व किसकी तामील नहीं हुई व कौन–कौन उपस्थित नहीं हुए इसका उल्लेख नहीं है सीधे ही मौका रिपोर्ट मंगाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने नायब तहसीलदार की दूसरी मौका रिपोर्ट का भी पूर्ण अवलोकन नहीं किया है एवं पूर्व मौका रिपोर्ट में वर्णित रास्ते जो वैकल्पिक रास्ता है के होते हुए भी आलोच्य

4/2/17

आदेश पारित किया है जो नियम विरुद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया। तथा अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर. आर.टी. 2016(1) पेज 649 पेश किया।

5 रेस्पो सं. 1, 6, 12 से 18 व 30 से 40 की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई ने बहस में कथन किया कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.12.2016 को दर्ज हुआ। जिसे नियमानुसार 90 दिन की अवधि में निर्णित कर देना चाहिए था परंतु यह 22.02.2018 को निर्णित किया है। प्रथम मौका रिपोर्ट पर प्रार्थीगण की आपत्ति के बाद दूसरी मौका रिपोर्ट मंगाई गई है जो दिनांक 18.04.2017 को तैयार हुई व दिनांक 19.04.2017 को न्यायालय में पेश हुई। मौका रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रावधानों के अनुसार रास्ता दिए जाने का आदेश पारित किया है। मौका रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने कोई ऐतराज नहीं किया अतः अपीलीय न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकती है। अपीलांट ने ऐतराज उठाने का अवसर गंवा दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 22.02.2018 को पारित किया जा चुका है जो विधिक रूप से सही है। रेस्पो. के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि जोंइट टेनेंसी में भी रास्ता दिया जा सकता है, धारा 251–क में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं हैं। मौके पर बंटवारा हो रखा है प्रार्थीगण के खसरे में कोई रास्ता नहीं होने से ट्यूब वैल बंद पड़ा है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने 30 फुट चौड़ाई का रास्ता नियमों में प्रावधान होने के कारण दिया है जिस पर कोई ऐतराज नहीं किया गया। इस प्रकरण में 40 पक्षकार हैं केवल 2 पक्षकारों ने ही अपील की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने विधि अनुसार निर्णय पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं हैं व अपीलांट की अपील खारिज करने का निवेदन किया। रेस्पों के अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2003 पेज 150 पेश किया।

6 रेस्पो. सं. 41 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी। ने बहस में कथन किया कि राज्यसरकार औपचारिक पक्षकार है अतः प्रकरण की परिस्थितियों एवं तथ्यों के मध्यनजर उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 10.04.2017 के अनुसार मौके पर तरमीम नहीं होना एवं भूमि सहखातेदारी की होना बताने से रास्ता दिया जाना संभव नहीं बताया है। इस रिपोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने अस्वीकार किए बिना ही दूसरी रिपोर्ट मंगाई है जिसका कोई

4/2/17

कारण दिनांक 12.04.2017 की आदेशिका में उल्लेख नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई कारण अंकित किए दूसरी मौका रिपोर्ट मंगाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

दिनांक 18.04.2017 की रिपोर्ट में भी खसरा नं. 209 जो संयुक्त खातेदारी का है उसमें से भी रास्ता दिया गया है जबकि उसभाग पर अपीलांट का कब्जा बताया है। प्रार्थना पत्र में केवल खसरा नं. 209/7 से ही रास्ते की मांग की है। अतः इस प्रकरण में खसरा नं. 209 के अन्य सहखातेदार की सहमति के बिना उनके कब्जे वाले हिस्से से रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं है। इस संबध में धारा 251—क में भी स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी काश्तकार या संयुक्त काश्तकार अपनी भूमि तक पहुंचने के लिए अन्य काश्तकार की भूमि में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करना चाहता है तो उपखण्ड अधिकारी के समक्ष धारा 251—क के तहत आवेदन किया जा सकता है। इस धारा में संयुक्त खातेदारी के सहखातेदार से उनकी सहमति के बिना रास्ता देने का प्रावधान नहीं किया गया है। जबकि रेस्पो. सं. 1 का कथन है कि संयुक्त खातेदारी में भी रास्ता धारा 251 क के तहत दिया जा सकता है तथा इस कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत भी पेश किया। हमने धारा—251क के प्रावधानों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जिसके अनुसार धारा 251क में सहखातेदार को रास्ता दिया जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं जहां तक न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. अप्रेल 2003 पेज 150 के तथ्य हैं वे इस प्रकरण से बिल्कुल ही मेल नहीं खाते हैं अतः यह चस्पा नहीं होता है।

अपीलांट के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि रेस्पो. सं. 1 से 4 द्वारा जहां रास्ता मांगा गया है वहां कोई रास्ता नहीं चलता है तथा वर्तमान में जिस जगह से रास्ता मांगा गया है जिसकी मौका रिपोर्ट दिनांक 18.04.2017 में स्थान एक्स से वाई स्थान पर रास्ता मार्क किया गया है उस स्थान पर खसरा नं. 209/7 में तीन ढाणियां बनी हुई हैं तथा एक पानी का टांका बना हुआ है जिसके उपर से रेस्पो. सं. 1 से 4 को रास्ता दिया गया है जो कतई न्यायोचित नहीं हैं। रेस्पो. सं. 1 से 4 का रास्ता आज भी खसरा नं. 209/2 में चालू है एवं वहीं से उनका आगमन विधिवत रूप से चल रहा है। अपीलार्थीगण ने पूर्व में चल रहे खसरा नं. 209/2 के रास्ते को कभी बंद नहीं किया है तथा वहीं पर पीढ़ियों से पुराना रास्ता चल रहा है और उसी रास्ते से रेस्पो. सं. 1 से 4 कर रहे हैं। खसरा नं. 209/2 से चल रहा रास्ता रेस्पो. सं. 1 से 4 का निकटतम एवं सुगम रास्ता है एवं कटानी रास्ते तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं हैं। एवं यही रास्ता अन्य सहखातेदारों के खेतों में जा रहा है। वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी रेस्पो. सं. 1 से 4 द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो आधारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य बताया है। इस प्रकार अपीलांट ने वैकल्पिक रास्ता होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो. सं. 1 से 4 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की आपत्ति उठाई है। इस संबंध में प्रथम मौका रिपोर्ट से पुष्ठि भी होती है तथा द्वितीय मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते के संबध में कोई रिपोर्ट अंकित नहीं है अतः मौका रिपोर्ट दिनांक 18.04.2017 धारा 251क के अनुरूप नहीं हैं। मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकन होना चाहिए कि जिस खेत के लिए प्रार्थी ने रास्ते की मांग की है उस खेत तक जाने के लिए किसी प्रकार का रास्ता या उस तक पहुंचने का साधन उपलब्ध नहीं हैं अर्थात वैकल्पिक रास्ते का अभाव है अर्थात धारा 251क के प्रकरण में खेत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया जाना आवश्यक है जो मौका रिपोर्ट दिनांक 18.04.2017 से सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी 2016(1) पेज 649 भी पूर्णतया चस्पा होता है। अतः इस महत्वपूर्ण तथ्य का विवेचन किए बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधि विरुद्ध है।

9 हमने अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.02.2018 का अवलोकन किया जो इस प्रकार है :–

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने अंतर्गत धारा 251 ए आर.टीए. अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा नं. 209/7 में से रास्ता चाहा गया है। हमने मौका कमिश्नर की दोनों रिपोर्ट का भी अवलोकन किया है। दोनों रिपोर्ट यद्यपि एक दूसरे का खण्डन करती है तथापि दिनांक 18.04.2017 की रिपोर्ट इस वाद को सुलह की ओर ले जाती प्रतीत होती है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर ग्राम हाणिया की मौका रिपोर्ट दिनांक 18.04.2017 रास्ता अनुज्ञात किया जाता है। जो लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त अनुज्ञात रास्ते की भूमि का डी.एल. सी. रेट का दुगुना राशि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को हिस्से अनुसार अदा करेंगे। तहसीलदार बावड़ी को आदेश दिया जाता है कि अनुज्ञात रास्ते को 30 फुट चौड़ाई के मार्क एक्स से वाई राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करें। तहरीर जारी हो मौका रिपोर्ट दिनांक 18.04.2017 इस निर्णय का भाग रहेगी। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपरोक्त आदेश में भी अधीनस्थ न्यायालय का यह विवेचन कि "हमने मौका कमिश्नर की दोनों रिपोर्ट का भी अवलोकन किया है। दोनों रिपोर्ट यद्यपि एक दूसरे का खण्डन करती है तथापि दिनांक 18.04.2017 की रिपोर्ट इस वाद को सुलह की ओर ले जाती प्रतीत होती है।" से भी यह स्पष्ट होता है

4/2/17

कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा या सुलह नहीं हुई है फिर भी मौका रिपोर्ट दिनांक 18.04.2017 को सुलह की ओर ले जाना मान लिया है। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण पर एवं धारा 251क के प्रावधानों के अनुसार विवेचन करते हुए निर्णय पारित नहीं किया है। जो विधि विरुद्ध होने से खारिज किए जाने योग्य पाया जाता है। एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड योग्य पाया जाता है।

10 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2018 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावड़ी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में स्वयं मौका निरीक्षण करें तथा धारा 251 के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण का विवेचन करते हुए पुनः एक माह की अवधि में निस्तारण करें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 08.08.2018 को उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

23/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 23.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर